

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

थर्ना - पत्र नम्बर 71 / 2025

नवान बेअन्त सिंह बनाम गुरजण्ट सिंह वगैरा

थर्ना - पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए आरटीए

अन्तर्गत सिंह पुत्र श्री निर्भय सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

विरुद्ध

- प्रार्थी

1. गुरजण्ट सिंह पुत्र श्री निर्भय सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. कर्कस पुत्री श्री देशराज जाति बिष्णोई निवासी ढाणी 4 एन.टी.डब्ल्यू. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
3. ज्योति पुत्री श्री देशराज जाति बिष्णोई निवासी ढाणी 4 एन.टी.डब्ल्यू. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
4. प्रवीणा पुत्री श्री देशराज जाति बिष्णोई निवासी ढाणी 4 एन.टी.डब्ल्यू. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
5. शर्मिला देवी पुत्री श्री देशराज जाति बिष्णोई निवासी ढाणी 4 एन.टी.डब्ल्यू. तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
6. रमनदीप पुत्र श्री देशराज जाति बिष्णोई निवासी ढाणी 4 एन.टी.डब्ल्यू. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
7. गुरसेवक सिंह पुत्र श्री मक्खन सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
8. गुरसाहब सिंह पुत्र श्री मक्खन सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
9. सुखजीत सिंह पुत्र श्री रूप सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
10. सरदूल सिंह पुत्र श्री रूप सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
11. सुखपाल कौर पत्नी श्री गुरजण्ट सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
12. सूबा सिंह पुत्र श्री रूप सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
13. हरपाल कौर पत्नी श्री बेअन्त सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
14. गुरजीत सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
15. प्रगत सिंह पुत्र श्री गुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
16. गुरसेवक सिंह पुत्र श्री गुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
17. चरणजीत सिंह पुत्र श्री मलकीत सिंह जाति जटसिख नि. भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
18. गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
19. कौर सिंह पुत्र श्री बहाल सिंह उर्फ टहल सिंह उर्फ पहल सिंह जाति जटसिख नि. भगतपुरा तह. संगरिया
20. भूरा सिंह पुत्र श्री बहाल सिंह उर्फ टहल सिंह उर्फ पहल सिंह जाति जटसिख नि. भगतपुरा तह. संगरिया
21. बहाल सिंह उर्फ टहल सिंह उर्फ पहल सिंह पुत्र श्री लाल सिंह जाति जटसिख नि. भगतपुरा तह. संगरिया
22. जसपाल सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
23. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

- अप्रार्थीगण

उपस्थित :-

1. श्री गुरमीत सिंह कलसी - अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल अधिवक्ता अप्रार्थी संस्था 1

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

—:आदेश:-

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य स प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से तहसील संगरिया के चक 4 एन.टी.डब्ल्यू के खाता सं. 69/3 खाता बेअन्त सिंह जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 में दर्ज कुल 3.922 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसकी जमाबन्दी सलंगन प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम चक 4 एन.टी.डब्ल्यू खाता सं. 25/3 खाता गुरजन्त सिंह जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में अप्रार्थी सं. 2 ता 13 के नाम तथा इसी चक के खाता सं. 111/3 खाता कंचन वैगैरा जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में सांझा खाता में तथा अप्रार्थी सं. 14 के नाम इसी चक के खाता सं. 26/3 खाता गुरजीत सिंह जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में तथा अप्रार्थी सं. 15 के नाम इसी चक के खाता सं. 61/3 खाता प्रमोद सिंह तथा अप्रार्थी सं. 16 के नाम इसी चक के खाता सं. 32/22 खाता गुरसेवक सिंह तथा अप्रार्थी सं. 17 के नाम इसी चक के खाता सं. 36/22 खाता चरणजीत सिंह में तथा अप्रार्थी सं. 19 ता 22 के नाम इसी चक के खाता सं. 67/22 खाता कौर सिंह वैगैरा मे आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसकी जमाबन्दीयां सलंगन प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी के नाम दर्ज चक 4 एन.टी.डब्ल्यू के खाता सं. 69/3 खाता बेअन्त सिंह जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 में दर्ज कुल 3.922 है. कृषि भूमि में से प.नं. 176/163 मु.नं. 34 कि.नं. 23 में सिंचाई सुविधा हेतु डिग्गी बनी हुई है। उक्त चक के अलावा प्रार्थी के नाम प.नं. 179/163 मु.नं. 31 कि.नं. 10,11,20/0.253 है.प. 21/2/0.127 है. कृषि भूमि भी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो कि प्रार्थी का अलग खेत है जिसमें सिंचाई हेतू प्रार्थी के पास पर्याप्त साधन नहीं है। उक्त खेत मे प्राथी के सोलर पम्प लगे हुए है। इसलिये प्रार्थी अपने नाम दर्ज कृषि भूमि में से प.नं. 176/163 मु.नं. 34 कि.नं. 23 में सिंचाई सुविधा हेतु बनी डिग्गी में से अपने दूसरे खेत के प.नं. 179/163 मु.नं. 31 कि.नं. 10,11,20/0.253 है.प. 21/2/0.127 है. कृषि भूमि तक इसी चक के मु.नं. 39 के कि.नं. 4 व 5 तथा मु.नं. 40 के कि.नं. 1 ता 5 तथा मु.नं. 41 के कि.नं. 1 ता 5 तथा मु.नं. 42 के कि.नं. 1 में उत्तर पक्षचिमी कोने में सिंचाई सुविधा हेतु पाईपलाईन स्वीकृत करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज खाता सं. 25/3 में दर्ज प.नं. 176/164 मु.नं. 39 किला नं. 4/2/0.038 है. कृषि भूमि तथा अप्रार्थी सं. 2 ता 13 के नाम सांझा खाता में दर्ज कृषि भूमि में से प.नं. 176/164 मु.नं. 39 किला नं. 5/3/0.038 है. मे तथा प.नं. 177/164 मु.नं. 40 कि.नं. 1/2/0.038 है., 2/2/0.038 है., 3/2/0.038 है. कृषि भूमि तथा अप्रार्थी सं. 14 के नाम दर्ज इसी चक के खाता सं. 26/3 में प.नं. 177/164 मु.नं. 40 कि.नं. 4/2/0.038 है. तथा प.नं. 178/164 मु.नं. 41 कि.नं. 1/4/0.019 है. कृषि भूमि तथा अप्रार्थी सं. 15 के नाम दर्ज इसी चक के खाता सं. 61/3 में दर्ज प.नं. 177/164 मु.नं. 40 कि.नं. 5/2/0.038 है. तथा अप्रार्थी सं. 16 के नाम दर्ज इसी चक के खाता सं. 32/22 में दर्ज प.नं. 178/164 मु.नं. 41 किला नं. 1/3/0.019 है. कृषि भूमि तथा अप्रार्थी सं. 17 के नाम दर्ज इसी चक के खाता सं. 36/22 में दर्ज प.नं. 178/164 मु.नं. 41 किला नं. 2/2/0.038 है, 3/2/0.038 है. कृषि भूमि तथा इसी चक के खाता सं. 30/22 में दर्ज प.नं. 178/164 मु.नं. 41 किला नं. 4/2/0.038 है. तथा अप्रार्थी सं. 19 ता 22 के नाम दर्ज इसी चक के खाता सं. 67/22 में दर्ज प.नं. 178/164 मु.नं. 41 किला नं. 5/2/0.063 है. तथा प.नं. 179/164 मु.नं. 42 कि.नं. 1/2/0.038 है. कृषि भूमि बतौर गै.मु. रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि में से प.नं. 176/163 मु.नं. 34 कि.नं. 23 में सिंचाई सुविधा हेतु बनी डिग्गी में से अपने दूसरे खेत के प.नं. 179/163 मु.नं. 31 कि.नं. 10,11,20/0.253 है.प. 21/2/0.127 है. कृषि भूमि तक इसी चक के मु.नं. 39 के कि.नं. 4 व 5 तथा

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

नं. 40 के कि.नं. 1 ता 5 तथा मु.नं. 41 के कि.नं. 1 ता 5 तथा मु.नं. 42 के कि.नं. 1 में उत्तर पश्चिमी कोने में सिंचाई सुविधा हेतु पाईपलाईन स्वीकृत करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से कई दफा निवेदन किया कि वे प्रार्थी के नाम दर्ज प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि में से प.नं. 176/163 मु.नं. 4 कि.नं. 23 में सिंचाई सुविधा हेतु बनी डिग्गी में से अपने दूसरे खेत के प.नं. 179/163 मु.नं. 31 कि.नं. 0,11,20/0.253 है.प्र., 21/2/0.127 है. कृषि भूमि तक इसी चक के मु.नं. 39 के कि.नं. 4 व 5 तथा मु.नं. 40 के कि.नं. 1 ता 5 तथा मु.नं. 41 के कि.नं. 1 ता 5 तथा मु.नं. 42 के कि.नं. 1 में उत्तर पश्चिमी कोने में सिंचाई सुविधा हेतु पाईपलाईन स्वीकृत करवा देवे लेकिन पहले तो अप्रार्थीगण आजकल-आजकल कर टाल मटोल करती रही लेकिन अंत में ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थना पत्र पाईपलाईन स्वीकृत करवाने का है जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा दो रुपये के न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के नाम दर्ज चक 4 एन.टी.डब्ल्यू. के खाता सं. 69/3 खाता बेअन्त सिंह जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 में दर्ज कुल 3.922 है. कृषि भूमि में से प.नं. 176/163 मु.नं. 34 कि.नं. 23 में सिंचाई सुविधा हेतु बनी डिग्गी में से अपने दूसरे खेत के प.नं. 179/163 मु.नं. 31 कि.नं. 10,11,20/0.253 है.प्र., 21/2/0.127 है. कृषि भूमि तक अप्रार्थीगण के नाम दर्ज इसी चक के प.नं. 176/164 मु.नं. 39 के कि.नं. 4 व 5 तथा प.नं. 177/164 मु.नं. 40 के कि.नं. 1 ता 5 तथा प.नं. 178/164 मु.नं. 41 के कि.नं. 1 ता 5 तथा प.नं. 179/164 मु.नं. 42 के कि.नं. 1 में उत्तर पश्चिमी कोने में सिंचाई सुविधा हेतु 03 फुट गहरी भूमि में पाईपलाईन डालने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

प्रार्थना-पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी 2 ता 22 अक्टूबर सूचना उपस्थित नहीं आये। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपने जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 23 तहसीलदार राजस्व संगरिया के पत्रांक 2024 दिनांक 13.10.2025 द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब तथा पत्रावली में अन्य दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थी की मांग/सिंचाई सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए पाईप लाइन स्वीकृति जारी करने का आदेश निम्न शर्त पर पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है:-

1. पाईप लाइन कम से कम 3 फीट गहरी जमीन के अन्दर होना आवश्यक है अन्य कृषकों को असुविधा नहीं हों
2. प्रार्थी प्राकृतिक कारणों से हुई किसी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति की मांग नहीं करेगा।
3. शर्तों की उल्लंघन पर पाईप लाइन की स्वीकृति कभी भी निरस्त की जा सकेगी।
4. प्रार्थी द्वारा डाली गई पाईप लाइन लिकेज होने पर प्रार्थी लिकेज पाईप को सही करने के लिए पाबन्द रहेगा।
5. तहसीलदार संगरिया राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम (संशोधित) 2012 के अनुसरण में नियम 70(2)(b) के तहत प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी डीएलसी का 10 प्रतिशत अनुसार गणना करवाकर राशि राजकोष में जमा करवाये।
6. रास्ता/खाला को कोई नुकसान नहीं पहुंचें तथा रास्ता में कभी भी आवागमन में बाधा नहीं हो और पाईप लाइन डालते/लिकेज सही करते समय किसी भी काश्तकार की फसल का या अन्य किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो।


 उपरखण्ड अधिकारी
 संगरिया

आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251-ए आरटीए स्वीकार कर उक्त शर्तों की पालना के आधार पर प्रार्थी को चक 4 एनटीडब्ल्यू प.नं. 179/163 मु.नं. 31 कि.नं. 10,11,20/0.253 है.प्र., 1/2/0.127 है. कृषि भूमि तक अप्रार्थीगण के नाम दर्ज इसी चक के प.नं. 176/164 मु.नं. 39 के कि.नं. 4 व 5 तथा प.नं. 177/164 मु.नं. 40 के कि.नं. 1 ता 5 तथा प.नं. 178/164 मु.नं. 41 के कि.नं. 1 ता 5 तथा प.नं. 179/164 मु.नं. 42 के कि.नं. 1 में उत्तर पश्चिमी कोने में सिंचाई सुविधा हेतु 3 फीट गहराई में सिंचाई के लिये पाईप लाईन डालने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। तथा संबंधित भूमि के समस्त काश्तकारान को सूचित किया जाता है कि वे प्रार्थी की सिंचाई सुविधा हेतु भूमिगत डाली गई सिंचाई पाईप लाईन में किसी प्रकार की कोई बाधा/नुकसान कारित नहीं करेंगे। प्रश्नगत भूमि की लम्बाई X चौड़ाई के माप किये जाने एवं राजकोष में सिंचानुसार राशि जमा होने के पश्चात् ही प्रश्नगत पाईप लाईन स्वीकृत शुमार समझी जावेगी। तहसीलदार सगरिया को पालनार्थ अलग से लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 19.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)

उपसहायक अधीक्षक
सगरिया
सगरिया